

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या- 110 / 9.1.16-51टी.ए/14
लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-(1) की अपेक्षानुसार समस्त संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2 प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव यदि कोई हों, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-1 बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित और लिखित रूप में सम्बोधित करके प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल जनसंख्या, जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापो में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ सांक्रातिक क्षेत्र होगा और उक्त सांक्रातिक क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत गठित की जायेगी, जिसे नगर पंचायत बरियारपुर जनपद देवरिया के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची

उत्तर गाटा संख्या	1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 592, 603, 604, 606, 607, 608, 690, 691, 704, 705
दक्षिण गाटा संख्या	2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3011, 3012, 3014, 3019, 3020, 3023, 3024, 3028, 3029, 3031, 3035, 3036, 3038, 3040, 3041, 3042, 3043, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3061, 3066, 3069, 3071, 3073, 3074, 3075, 3076, 3078, 3086, 3084, 3085, 3086, 3087, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3209, 3215, 3216, 3217, 3219, 3235, 3236, 3337, 3338, 3340, 3341, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3351, 3352, 3353, 3407, 3408, 3409, 3411, 3413, 3414, 3415, 3522, 3523, 3524, 3548, 3549
पूरब	706, 708, 938, 939, 940, 941, 1044, 1045, 1046, 1092, 1093, 1113, 1114, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1127, 1130, 1218, 1219, 1221,

गाटा	1222	122	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1243
संख्या	1247	1248	1254	1255	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287
	1288	1289	2450	2451	2455	2453	2674	2675	2676	3464	3465
	3471	3472	3480	3482	3483	3494	3496	3497	3498	3507	3508
	3509	3510	3544	3545	3546	3549					
पश्चिम	1	18	30	31	32	34	36	50	92	93	94
गाटा	95	98	99	100	101	103					
संख्या	109	110	111	112	113	114	115	119	205	206	208
	242	243	244	324	325	332	335	337	341	344	343
	345	346	347	348	1708	1709	1734	1749	1750	1751	1792
	1793	1796	1798	1799	1800	1893	1894	1895	1898	2058	2059
	2060	2064	2065	2066	2089	2986	2984				

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-१७० (1)/9-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अतिरिक्त तथा एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 17 मार्च, 2016 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-१७० (2)/9.1.2016 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
- (2) जिलाधिकारी, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र० लखनऊ।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।